पत्रांक / 479 / पत्रा.सं.118 /जीएसटी प्रैक्टीशनर/17–18/ राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0
(जीएसटी अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक::10 अगस्त, 2017

–::आदेश::–

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 48 में जीएसटी प्रैक्टीशनर को इन्रोल किये जाने का प्राविधान किया गया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर नियमावली 2017 के नियम–83 में जीएसटी प्रैक्टीशनर बनने के लिए प्रक्रिया व शर्तें निर्धारित की गयी हैं। जिसमें जीएसटी प्रैक्टीशनर के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी पीसीटी–01 में प्रार्थना पत्र दाखिल करना अनिवार्य है।

उपर्युक्त प्रकार से जीएसटी प्रैक्टीशनर के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों के द्वारा जीएसटी पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी पीसीटी–01 में दाखिल प्रार्थना पत्रों के, उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर नियमावली 2017 के नियम 83 में विहित प्रक्रिया के अनुसार, निस्तारण के लिए उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 2 (91) तथा धारा 4(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर लखनऊ में तैनात संयुक्त निदेशकों को एतद्द्वारा अधिकृत करता हूँ।

10/08/17
(मुकेश कुमार मेश्राम)
आयुक्त, राज्य कर/वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

पृ0पत्र संख्या व दिनांक उक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव, राज्य कर एवं मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश शासन ।
2– विशेष सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन, उत्तर प्रदेश शासन ।
3– समस्त जोनल अपर आयुक्त ग्रेड–1, राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
4– अपर निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर लखनऊ।

5– अपर आयुक्त, ग्रेड–1 / ग्रेड–2, उच्च न्यायालय कार्य, राज्य कर इलाहाबाद / लखनऊ।

6– मुख्यालय के समस्त अपर आयुक्त / संयुक्त आयुक्त, राज्य कर ।

7– संयुक्त आयुक्त (स्थापना) राज्य कर, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि तद्नुसार अपने अभिलेख में सम्मिलित करें।

8– समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) / (वि0अनु0शा0) / (टैक्स आडिट) राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

9– समस्त उप आयुक्त / सहायक आयुक्त / राज्य कर अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

10– संयुक्त आयुक्त, (उच्चतम न्यायालय कार्य) / (उच्च न्यायालय कार्य), राज्य कर, गाजियाबाद / लखनऊ / इलाहाबाद

11– मुख्यालय के समस्त अनुभाग / अनुभाग प्रभारी

12– मैनुअल अनुभाग को 5 प्रतियॉ।

13– वाणिज्य कर अधिकारी, प्रशिक्षण संस्थान में तैनात समस्त संयुक्त निदेशकों को अनुपालनार्थ।

1/8/17

(विवेक कुमार)
अपर आयुक्त (जी0एस0टी0)
राज्य कर / वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।